146/(

Deshi Sachivalaya

F.No. 4-7/2015-Extn.(Vol-II)

Government of India

Govt. of NCT of Del Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare

1 5 119 7.22

Krishi Bhavan, New Delhi Dated: 3 May, 2029

### VACANCY CIRCULAR

Sub: Filling up of two posts of Joint Director (Extension) in Directorate of Extension, Department of Agriculture & Farmers Welfare on deputation (ISTC).

Two posts of Joint Director (Extension) in the pay Level 11, General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial is proposed to be filled up in Directorate of Extension, New Delhi on deputation basis (including Short Term Contract) from amongst the officers under Central Government or State Governments or Union Territories or Public Sector Undertakings or Semi-Government autonomous and State organizations or Agricultural Universities or recognized research institutions or Councils:-

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or
  - (ii) with five years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in pay band-3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 5400/- (Level 10 in Pay-Matrix by 7th CPC) or equivalent in the parent cadre or department; and
- (b) possessing the following educational qualifications and experience as under:-

#### **Essential**

(i) Master's degree in Agriculture or Agriculture Extension from a recognised university or institute or Master's degree in Rural Management or Master of Business Administration with a Bachelor's degree in Agriculture from a recognised University or Institute or Master's Degree in Agriculture Business Management or Vegetable Sciences or Horticulture or Agro-Forestry, or Degree in Agriculture Engineering from a recognised University or Institute;

three years' experience in coordination and overseeing or execution of Agricultural Extension or Extension Programme in the field of administration or Management of Agriculture or Extension Programme or teaching experience at college or university level in Agriculture or Extension Programme with special reference to training of extension personnel and farmers.

#### Desirable:

Three years' experience in formulation and conduct of extension training programmes.

2. The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short-term contract). Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

55(50v.) I

Contd/-

DSIT

50(2-2) 50(2-2) 50(2-2) ay 17/6 So Stoon 2)

145/C



- 3. Period of deputation(including short-term contract) including period of deputation(including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed <u>four years</u>. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date for receipt of applications.
- 4. <u>Duties attached to the post of Joint Director (Extn) are as under:</u>
- i) To assist in the formulation and implementation of agricultural extension related projectsthrough out the country.
- ii) To review & monitor implementation status of the Agricultural Extension Schemes like Extension Reforms, Agri-Clinics & Agri-Business Centres, Agricultural Extension though Mass Media, Kisan Call Centres, Training Programmes through National, Regional & State Level institutions-through Review Meeting, Field Visits, Reports from Stakeholders etc.
- 5. Officers selected will have the option to draw his grade pay plus deputation(duty) allowance or to have his pay fixed in the scale of pay of the post in accordance with the Department of Personnel and Trainings O.M. No.6/8/2009-Estt.(Pay II) dated 17th June 2010, as amended from time to time.
- 6. Applications of interested and eligible officers, who could be spared in the event of their selection, may be sent, through proper channel, in the enclosed proforma (in Triplicate/set of three copies) along with the documents mentioned below so as to reach the "Section Officer (Extension), Room No. 332, Department of Agriculture, & Farmers Welfare, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News/RojgarSamachar. While forwarding the applications, the sponsoring organisations should verify and certify that the particulars furnished by the applicant are correct. The Certification shall be done by the Employer/Cadre controlling officer not below the rank of Deputy Secretary/Director to the Govt. of India at the last page No. 5 of Bio-data Performa. The applications should be sent alongwith the following documents.
  - (i) Cadre Clearance
  - (ii) Vigilance Clearance
  - (iii)Integrity Certificate signed by an officer not below the rank of Deputy Secretary/Director to the Government of India
  - (iv) Major/Minor Penalty Statement during last ten years
  - (v) Photocopies of ACRs/APARs of last five years i.e. from 2016-17 to 2020-21 duly attested on each page by an officer not below the rank of an Under Secretary to the Government of India. If for some reasons, the ACRs/APARs of the officer have not been written for a particular year or a part of a year, a 'No Report Certificate' (NRC) for the period may be sent along with the ACRs/APARs of the corresponding previous year (s).
  - (vi) Self attested photocopies of the Degree certificates, experience certificates or any other document in support of the educational qualification/details/information as other mentioned in the Bio-Data of the applicant.

144/C

7. Applications received after the last date or without the above mentioned documents or otherwise found incomplete will not be considered.

Power 105/2022

(D. Ponni)
Under Secretary to the Govt. of India
Tel.-23382013
E-mail:ponni.d@nic.in

### Copy forwarded to:

- 1. All Ministries/Departments of the Central Government
- 2. Secretaries (Agriculture) of State Governments/Administrators of Union Territories.
- 3. Secretary, Union Public Service Commission, New Delhi.
- 4. Department of Personnel & Training (Office of the Establishment Officer), North Block, New Delhi.
- 5. NIC, DOP&T, North Block, New Delhi, with the request to upload on their website.
- 6. All Officers in the Deptt. of Agriculture, & Farmers Welfare. Applications may please be sent through the concerned Establishment Sections.
- 7. All attached/subordinate offices under the Deptt. of Agriculture & Farmers Welfare.
- 8. All Vice-Chancellors of Agriculture Universities/Recognised Research Institutions.
- 9. The Chief Administrative Officer, Ministry of Defence (DH, PC), New Delhi.
- 10. Estt. I/II Sections.
- 11. Estt. III for notice board.
- 12. Director (Administration), Directorate of Extension, Pusa, New Delhi (for uploading on their website).
- 13.NIC, DA&FW (for uploading on the website of Department of Agriculture, & Farmers Welfare).
- 14. Director General, MANAGE, Hyderabad (for uploading on their website)
- 15. Guard File.

## ANNEXURE-I

# BIO-DATA/ CURRICULUM VITAE PROFORMA

1.Name and Address			
(in Block Letters) Contact No.			
2.Date of Birth (in Christian era)			
3.i) Date of entry into service	NA .		
3.1/ Date of entry into service			
ii) Date of retirement under			
Central/State Government Rules			
4.Educational Qualifications			
5. Whether Educational and			
other qualifications required for			
the post are satisfied. (If any			
qualification has been treated	•		
as equivalent to the one			
prescribed in the Rules, state			
the authority for the same)			
Qualifications/ Experience required as	Qualifications/ experience possessed by the officer		
mentioned in the advertisement/ vacancy	deminations, experience possessed by the officer		
circular			
Essential	Essential		
A) Qualification	A) Qualification		
B) Experience	B) Experience		
Desirable	Desirable		
A) Qualification	A) Qualification		
B) Experience	B) Experience		
5.1 Note: This column needs to be amplified	to indicate Essential and Desirable Qualifications as		
mendioned in the KKS by the Administrative Min	istry/Department/Office at the time of issue of Circular		
allu issue di Advertisement in the Employment N	ews.		
5.2 In the case of Degree and Post Graduate	Qualifications Elective/ main subjects and subsidiary		
subjects may be indicated by the candidate.	and subsidiary		
6. Please state clearly whether in the light of ent			
made by you above, you meet the requi	site		
Essential Qualifications and work experience of	the		
post.	`		
6.1 Note: Borrowing Departments are to pro	ovide their specific comments/ views confirming the		
relevant Essential Qualification/ Work experience possessed by the Candidate (as indicated in the Bio-			
data) with reference to the post applied.			

7. Details of Employment, in chronological order. Enclose a separate sheet duly authenticated by your signature, if the space below is insufficient.

Office/Institution	Post held on regular basis	From	То	*Pay Band and Grade Pay/Pay Scale of the post held on regular basis	Duties (ir detail) highlighting experience required for the post
•Important: Pay-b	and and code				applied for

\*Important: Pay-band and Grade Pay granted under ACP/MACP are personal to the officer and therefore, should not be mentioned. Only Pay Band and Grade Pay/ Pay scale of the post held on regular basis to be mentioned. Details of ACP/MACP with present Pay Band and Grade Pay where such benefits have been drawn by the Candidate, may be indicated as below;

	Office/Institution	Pay , Pay Band, and Grade Pay			
1		drawn under ACP / MACP Scheme	From	То	
L		oeeme			

8. Nature of present employed hoc or Temporary or Quor Permanent	lasi-Permanent		
9.In case the present e held on deputation/co please state-	employment is ontract basis,		
a) The date of initial appointment	b) Period of appointmen on deputation/contract	office/organization to which the applicant belongs.	post and Pay of the post held in substantive capacity in the parent
9.2 Note: Information und	er Column 9(c) & (d) above	e applications of such officers along with Cadre Clearance, e must be given in all cases the cadre/organization but	organisation

any post held on D	eput	ation in the			
past by the applicant,	date	of return			
from the last deputat					
details.		and other	1		
1			j		
1					
11.Additional details abo	nut m		-		
employment:	Jul pi	czent	1		
			1		
Please state whether wor					
(indicate the name of you	ır em	ployer	}		
against the relevant colur	nn)				
			1		•
a) Central Governm			1		
b) State Governmen			1		
c) Autonomous Org	aniza	tion	1		
d) Government Und	ertak	ing	}		
e) Universities			1		
f) Others			1		
12. Please state when	ther	you are			
working in the same Department and					
are in the feeder grade	or	feeder to			
feeder grade.					•
13. Are you in Revised Scale of Pay? If					
yes, give the date fro					
revision took place and al	so inc	dicate the			
pre-revised scale					•
14.Total emoluments per	mont	h now drav	vn		
Basis Pay in the PB			Grade Pa	у	Total Emoluments
15. In case the applicant	belo	ngs to an (	Organisation	which is not fo	llowing the Central Government
Pay-scales, the latest sala	iry si	ip issued I	by the Organ	nisation showin	g the following details may be
enclosed.					-
Basic Pay with Scale of		mess Pay/		Total Emolum	ents
Pay and rate of		f /other Al		)	
increment		(with brea	k-up		
	deta	ils)			
					1
16 A Additional total					
16.A Additional informat	ion, i	f any, rele	vant to the		
post you applied for in sup	port	of your se	iitability for		
the post.				-1	
(This among other things may provide information with regard to (i) additional academic qualifications (ii)				•	
egain to (i) additional a	cade	mic qualif	ications (ii)		

•	•
professional training and (iii) work experience over and	
above prescribed in the Vacancy	•
Circular/Advertisement)	
·	
(Note: Enclose a separate sheet, If the space is insufficient)	
16.B Achievements:	
The candidates are requested to indicate information with regard to;	
(i) Research publications and reports and special projects	
(ii) Awards/Scholarships/Official Appreciation	
(iii) Affiliation with the professional	
bodies/institutions/societies and;	
(iv) Patents registered in own name or achieved for the	
organization	
(v) Any research/ innovative measure involving official	
recognition vi) any other information.	
(Note: Enclose a separate sheet if the space is insufficient)	
•	
trade dide whether you are applying for	
deputation (ISTC)/Absorption/Re-employment Basis.# (Officers under Central/State Governments are only	
eligible for "Absorption". Candidates of non-	·
Government Organizations are eligible only for Short	,
Term Contract)	
# (The option of 'STC' / 'Absorption'/'Re-employment'	•••
are available only if the vacancy circular specially	
mentioned recruitment by "STC" or "Absorption" or	
"Re-employment").	
18. Whether belongs to SC/ST	
13. Whether belongs to 30/31	
I have carefully gone through the vacancy circu	lar/advertisement and I am well aware that the
information furnished in the Curriculum Vitae duly supp	
Qualification/ Work Experience submitted by me will als	
time of selection for the post. The information/ details	
of my knowledge and no material fact having a bearing	

	(Signature of the candidate)
	Address
Date	

# Certification by the Employer/ Cadre Controlling Authority

The information/ details provided in the above application by the applicant are true and correct as per the facts available on records. He/she possesses educational qualifications and experience mentioned in the vacancy Circular. If selected, he/she will be relieved immediately.

- Also certified that;
- There is no vigilance or disciplinary case pending/ contemplated against Shri/Smt.\_ i)
- ii) His/ Her integrity is certified.
- His/ Her CR Dossier in original is enclosed/photocopies of the ACRs for the last 5 years duly iii} attested by an officer of the rank of Under Secretary of the Govt. of India or above are enclosed..
- No major/ minor penalty has been imposed on him/ her during the last 10 years  $\underline{Or}$  A list of iv) major/ minor penalties imposed on him/ her during the last 10 years is enclosed. (as the case may be)

Countersigned

(Employer/ Cadre Controlling Authority with Seal)

Points to be noted by the Borrowing/ Parent Department/ Office to be highlighted in DOP&T circular for compliance by the Ministries/ Departments]

- 1. Vigilance Clearance will not normally be granted for a period of 3 years after the currency of punishment, if a minor penalty has been imposed on an officer. In case of imposition of a major penalty, Vigilance Clearance will not normally be granted for a period of 5 years after the currency of punishment in terms of DOP&T O.M. No.11012/11/2007-Estt.(A) dated 14.12.2007.
- 2. While forwarding applications in respect of officers who are about to complete their 'cooling-off' period shortly the instructions of DOP&T as contained in O.M. No.2/1/2012-Estt.(Pay.II) dated 04.01.2013 may be strictly adhered to.
- 3. A copy of the Application format may be provided by the Borrowing Department in their website in a downloadable form as *Word Document* along with the advertisement.
- 4. In the case of a vacancy already existing at the time of issue of communication inviting nominations/ publication in the Employment News, the eligibility may be determined with reference to the last date prescribed for receipt of nominations in the concerned administrative Ministry/Department. In the case of an anticipated vacancy, the crucial date for determining eligibility should be the date on which the vacancy is expected to arise.
- 5. It shall be prominently mentioned in the vacancy circular/ advertisement that the applications/CV not accompanied by supporting certificates/ documents in support of Qualification and Experience claimed by the candidates would not be processed for determining the eligibility of the candidates for the selection.
- 6. Crucial date for determining the eligibility of the applicants will be counted after excluding the first date of publication of the vacancy/ post in the Employment News. ie., For the vacancy published in the Employment News of 18-24 Jan. 2014, the crucial date will be counted from the 19<sup>th</sup> Jan. 2014 (excluding the first date of publication).
- 7. To facilitate determination of eligibility of the applicants working in Public Sector Undertakings/ Autonomous organizations not following the Central Government Scales, their equivalent scales of pay/posts may be confirmed by the borrowing Department. Where necessary, details in this regard may also be ascertained from the lending Department.

# फा.सं. 4-7/2015-विस्तार (Vol-II) भारत सरकार कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय कृष एवं किसान कल्याण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली दिनांक: ३) मई , 2022

## रिक्ति परिपत्र

विषय: विस्तार निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी) पर संयुक्त निदेशक (विस्तार) के दो पदों को भरा जाना ।

विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली में सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क', राजपत्रित, गैर मंत्रालयी में 7वीं केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन मैट्रिक्स में 11वां स्तर में संयुक्त निदेशक (विस्तार) के दो पदों को केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों या पब्लिक सैक्टर के उपक्रमों या अर्ध सरकारी स्वायत्त तथा राज्य संगठनों या कृषि विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधानों या परिषदों के अधीन उन अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति (लघु अवधि अनुबन्ध सहित) पर भरे जाने के लिये प्रस्तावित है।

- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन बैन्ड-3, 15600-39100 रुपए + ग्रेड वेतन 5400 रूपये या समतुल्य में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो;

तथा

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों-

### अनिवार्य:

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि अथवा कृषि विस्तार में मास्टर डिग्री; या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि में बैचलर की डिग्री के साथ ग्रामीण प्रबंधन में मास्टर डिग्री; या व्यापार प्रशासन में मास्टर; किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कृषि व्यापार प्रबंधन या सागभाजी विज्ञान, उद्यान-कृषि, या कृषि वानिकी में मास्टर डिग्री या कृषि इंजीनियरी में डिग्री।
- (ii) प्रशासन या कृषि प्रबंधन या विस्तार कार्यक्रम या कालेज या विश्वविद्यालय स्तर पर कृषि या विस्तार कार्यक्रमों, विस्तार कार्मिकों और कृषकों को प्रशिक्षण देने के प्रति विशेष निर्देश के साथ अध्यापन के क्षेत्र में समन्वय और निरीक्षण या कृषि विस्तार अथवा विस्तार कार्यक्रमों के निष्पादन का तीन वर्ष का अनुभव। वांछनीय:

विस्तार प्रशिक्षण कार्यकम विनिर्मित करने और संचालित करने में तीन वर्ष का अनुभव।

- पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
- प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत) अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत) अल्पकालिक संविदा भी है) है साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति जिसके अंतर्गत) अल्पकालिक संविदा भी है) के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- संयुक्त 4. निदेशक (विस्तार) के के कर्तव्य पद इस i) देश में कृषि विस्तार संबंधी परियोजनाओं को तैयार करने और कार्यान्वयन करने में सहायता
- ii) कृषि विस्तार और विस्तार सुधार, कृषि क्लिनिक एवं कृषि व्यापार केन्द्र, मास मीडिया, किसान कॉल सेंटर, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तर के संस्थानों मे प्रशिक्षण कार्यक्रम व बैठक की समीक्षा के माध्यम कृषि विस्तार योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी करना , हालांकि, क्षेत्रो का दौरा व हितधारकों से रिपोर्ट प्राप्त करना आदि।
- चयनित अधिकारी को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के समयसमय- पर दिनांक 17 जून, 5. 2010 के का0ज्ञा0सं0 6/8/2009-स्था. (वेतन II) के अनुसार इस पद के वेतनमान में अपना वेतन निर्धारित कराने अथवा अपने पूर्व पद से संबंधित ग्रेड वेतन तथा प्रतिनियुक्ति (डयूटी) भत्ता आहरित करने का विकल्प होगा ।
- इच्छुक और पात्र अधिकारियों, जिन्हें उनका चयन होने पर कार्यमुक्त किया जा सकता है, के आवेदन (तीन प्रतियों में) संलग्न प्रोफार्मा में नीचे दिए गए दस्तावेजों सहित उचित माध्यम से इस विज्ञापन के एम्प्लायमेंट न्यूज⁄रोजगार समाचार में प्रकाशिन होने की तिथि से 60 दिन के अंदर 'अनुभाग अधिकारी (विस्तार), कमरा संख्या - 332, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली' को अग्रेषित किए जाएं । <u>आवेदन अग्रेषित करते समय प्रायोजित संगठनों</u> को यह सत्यापित तथा प्रमाणित करना चाहिए कि आवेदकों द्वारा प्रदत्त विवरण सही है । ये प्रमाणीकरण जीवन वृत्त प्रपत्र (बायोडाटा प्रोफार्मा) के अंतिम पृष्ठ संख्या छह पर, ऐसे नियोक्ता या कैडर नियंत्रक अधिकारी द्वारा होना चाहिए जो भारत सरकार के उप सचिव/ निदेशक की /रैंक के नीचे ना हो।

आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी संलग्न किए जाने की आवश्यकता है।

- (i) कैंडर क्लीयरेंस।
- (ii) सतर्कता संबंधी निकासी।
- सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र जो भारत सरकार के उप सचिव / निदेशक के पद के स्तर से कम के अधिकारी से हस्ताक्षरित न हो ।
- (iv) पिछले दस वर्षों के दौरान बड़ी/छोटी शास्ति के संबंध में विवरण ।

- (v) पिछले छः वर्षों अर्थात 2016-17 से 2020-21 की एपीएआर रिपोर्ट की छाया प्रतियां जिसका प्रत्येक पृष्ठ ऐसे अधिकारी से सत्यापित होना चाहिए, जो भारत सरकार के अवर सचिव के स्तर से कम का ना हो । यदि किसी कारण से किसी अधिकारी की किसी विशिष्ट वर्ष अथवा वर्ष की अविध की एसीआर/एपीएआर नहीं लिखी गई है तो पिछले वर्ष की संगत अविध की एसीआर/एपीएआर के साथ उस अविध के लिए '' कोई रिपोर्ट नही प्रमाणपत्र (एनआरसी)'' संलग्न करें।
- (vi) आवेदक के बायोडाटा में उल्लिखित शैक्षणिक योग्यता जानकारी के समर्थन में डिग्री प्रमाण / विवरण / पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र या किसी अन्य दस्तावेज की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी।

7. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त अथवा उपर्युक्त दस्तावेज के बिना प्राप्त आवेदनों अथवा अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

(डी. पोन्नी)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23382013 ई-मेल: ponni.d@nic.in

### प्रति प्रेषित:

- (i) केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालय/ विभाग ।
- (ii) सचिव (कृषि), सभी राज्य सरकार सरकारसंघ राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक।
- (iii) सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
- (iv) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (स्थापना अधिकारी का कार्यालय), नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली ।
- (v) एनआईसी, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली, अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
- (vi) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के सभी अधिकारी । आवेदन पत्र संबंधित स्थापना अनुभागों के माध्यम से भेजें ।
- (vii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय ।
- (viii) कृषि विश्वविद्यालयों मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के /सभी कुलपति ।
- (ix) मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, रक्षा मंत्रालय (डीएच,पीसी), नई दिल्ली ।
- (x) स्थापना- 1/11 अनुभाग।
- (xi) स्थापना-III नोटिस बोर्ड के लिए ।
- (xii) निदेशक (प्रशासन), विस्तार निदेशालय, पूसा, नई दिल्ली ( अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए) ।
- (xiii) एनआईसी (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए)।
- (xiv) महानिदेशक, मैनेज, हैदराबाद (अपनी वेबसाइट में अपलोड करने के लिए)
- (xv) गार्ड फाईल ।

जीवन वृत्त प्रपत्र

1. नाम व पद स्पष्ट अक्षरों में :.	
टेलीफोन नंबर:	
ई-मेल आईडी:	
2. जन्म तिथि (ईस्वी सन में):	
3. i) सेवा में आने की तिथि	
li) केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख:	
4.शैक्षणिक अर्हताएं:	
5.क्या उक्त पद में लिए अपेक्षित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं	
संतोषजनक है (यदि किसी अर्हता को नियमों में निर्धारित	
किसी योग्यता के समकक्ष माना गया है तो इसके लिए	
प्राधिकारी को विवरण दें)	
विज्ञापन/रिक्ति परिपत्र के किए गए उल्लेख के	अधिकारी द्वारा धारित अर्हता/अनुभव
अनुसार अपेक्षित अर्हताएं/अनुभव	
अनिवार्य:	अनिवार्य:
(क) अर्हता (ख)	(क) अर्हता
अनुभव	(ख) अनुभव
वांछनीय:	वांछनीय:
(क) अर्हता	(क) अर्हता
(ख) अनुभव	(ख) अनुभव
5.1 टिप्पणी : इस कॉलम को रोजगार समाचार में परिष	। ।त्र मे जारी करने और विज्ञापन मे जारी करते

5.1 टिप्पणी : इस कॉलम को रोजगार समाचार में परिपत्र मे जारी करने और विज्ञापन मे जारी करते समय प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा आर आर मे किए गए उल्लेख के अनुसार अनिवार्य और वांछित अर्हताओं में सुधार की आवश्यकता है।

5.2 डिग्री और स्नातकोत्तर अर्हताओं मे उम्मीदवार के द्वारा वैकल्पिक/ मुख्य विषय तथा सहायक विषय के बारे में बताया जाए

6.कृपया स्पष्ट उल्लेख करें कि आपके द्वारा दी गई उक्त प्रविष्टियों के संदर्भ में क्या आप पद के लिए निर्धारित अनिवार्य तथा कार्य अनुभव योग्यता को पूरा करते हैं।

6.1 उम्मीदवार द्वारा धारित अनिवार्य अर्हताओं/कार्य के अनुभव के संबंध में पुष्टि करते हुए उदृयत विभाग आवेदित पद के संदर्भ में अपनी विशेष टिप्पणी/राय दें।(जैसा कि बायो –डाटा में उल्लेख किया गया है।)



पर

आधार

धारित पद का नाम तथा वेतन

7. काल क्रमानुसार रोजगार का विवरण, यदि नीचे दिया गया स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर से यथा अधिप्रमाणित एक पृथक शीट संलग्न करें :-

कार्यालय/संस्थान	नियमित	से	तक	नियमित आधार	आवेदित पर के लिए
	आधार पर			पर धारित पद	अपेक्षित कार्य का
	धारित पद				स्वरूप अपेक्षित
					अनुभव को दर्शाते
				वेतनमान	हुए

महत्वपूर्ण : एसीपी/एमएसीपी के तहत दिया गया वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अधिकारी का व्यक्तिगत मामला है अत्: इसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। केवल नियमित आधार पर धारित पद का वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान का ही उल्लेख किया जाए। वर्तमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन जहां उम्मीदवार द्वारा लाभ लिया गया है, के साथ एसीपी/एमएसीपी का ब्यौरा निम्न अनुसार दर्शाएं।

कार्यालय/संस्थान	ए.सी.पी./ एम.ए.सी.पी.के धारित पद का वेतन बैंड औ वेतनमान	आधार पर र ग्रेड वेतन/	से	तक
8.वर्तमान रोजगार अस्थाई या अर्धस्थार	का स्वरुप अर्थात तदर्थ या गीयास्थायी:			
9.यदि मौजूदा रोजग आधार पर धारित हे	गर प्रतिनियुक्ति /संविदा के ो तो उल्लेख कीजिए:			
(क) आरंभिक नियुक्ति की तिथि:	(ख)प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि:		ार्यालय/संगठन का आप संबंधित हैं:	(घ) पैतृक संगठन में नियमित

9.1 टिप्पणी : यदि अधिकारी पहले से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं तो ऐसे अधिकार का आवेदन मूल संवर्ग/विभाग द्वारा संवर्ग की अनापत्ति, सतर्कता निकासी और सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र सहित भेजा जाना चाहिए।


🥭 टिप्पणी : उपर्युक्त कॉलम 9 (ग) ओर (घ) के अन्तर्गत उनके मूल कैडर/संगठन के अधिकार <sup>ह</sup>	<mark>में रखते हु</mark> ए
कैडर/संगठन के बाहर प्रतिनियुक्ति पर पद धारित करने वाले व्यक्ति के सभी मामलों में सूचन	ा दी जानीं
चाहिए।	

10.यदि आवेदक द्वारा विगत में प्रतिनियुक्ति पर कोई पद धारित किया गया हो तो पिछली प्रतिनियुक्ति से लौटने की तिथि तथा अन्य	
वितरण।	

11.वर्तमान रोजगार के बारे में अतिरिक्त विवरण। कृपया उल्लेख करें कि क्या निम्नलिखित के तहत	
कार्य कर रहे हैं :-	
(क) केन्द्र सरकार	
(ख)राज्य सरकार	
(ग) स्वायतशासी संगठन	
(घ) सरकारी उपक्रम	
(ङ) विश्वविद्यालय	
(च) अन्य	
12.कृपया बताएं कि क्या आप उसी विभाग में	
कार्यरत हैं और सम्पोषक श्रेणी में हैं या सम्पोषक	
श्रेणी के सम्पोषन में हैं।	
त्रणा के सम्मायम संहा	
13.क्या आप संशोधित वेतनमान में हैं ? यदि हां तो	
वह तारीख बताएं जब से संशोधन हुआ और	
संशोधन पूर्व वेतनमान का भी उल्लेख करें।	
संशोधन पूर्व पतिमान या ना उर्राच हर	
14.इस समय आहरित की जा रही प्रतिमास कुल	
परिलिब्धयां:	

वेतन बैंड में मूल वेतन	ग्रेड वेतन	कुल परिलब्धियां
15.यदि आवेदक किसी संगठन से स संगठन द्वारा जारी की गई अद्यतन	तम्बधित है जो केन्द्र सरकार के वेतन वेतन पर्ची जमा कराए जिसमें निम्नि	 मान का अनुपालन नहीं करता है तो नलखित ब्यौरा दिया गया हो।

वेतनमान और वेतन वृद्धि दर के साथ मूल वेतन	मंहगाई भत्ता/अंतरिम राहत/ अन्य भत्ते (पूरे ब्यौरे के साथ) आदि	कुल परिलब्धियां



16- क. अतिरिक्त सूचना, यदि कोई हो जिसे पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में उल्लेख करना चाहेंगे इसमें (।) अतिरिक्त शैक्षणिक अर्हता (।।) व्यवसायिक प्रशिक्षण और (।।।) रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन में निर्धारित कार्य अनुभव के बारे में सूचना प्रदान करें (नोट: यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न कर सकते हैं।)	
16 (ख). उपलब्धियां:	
उम्मीदवार निम्निलिखित के संबंध में सूचना दर्शाए: (I) अनुसंधान प्रकाशन और रिपोर्ट और विशेष परियोजना। (II) पुरस्कारों/छात्रवृत्तियों/ सरकारी प्रशस्तिपत्र (III) व्यवसायिक निकायों/संस्थानों/सोसाइटी के साथ संबंध;	
(IV) अपने नाम से या संगठन के लिए प्राप्त पंजीकृत पेटेंट	
(V) सहकारी मान्यता को शामिल करते हुए कोई अनुसंधान/नवीन उपाय (VI) कोई अन्य सूचना (नोट: यदि स्थान अपर्याप्त हो तो अलग शीट संलग्न कर सकते हैं।)	
17. कृपया उल्लेख करें क्या आप प्रतिनियुक्त	
(आईएसटीसी) आम्मेलन/पुनर्नियोजन के लिए	
आवेदन कर रहे हैं? (केंद्र/राज्य सरकारों के अंतर्गत	
अधिकारी ही 'आमेलन' के लिए पात्र है। गैर	
सरकारी संगठनों के उम्मीदवार अल्पावधि संविदा के पात्र है)	

#('एसटीसी'/आम्मेलन/पुनर्नियोजन का विकल्प उपलब्ध है यदि केवल रिक्ति परिपत्र में विशेष रूप से 'एसटीसी'अथा 'आम्मेलन' या 'पुनर्नियोजन'द्वारा रिक्ति का उल्लेख किया गया हो)"

18. क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं

मैंने रिक्ति परिपत्र/विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ा है और मैं इस बात से अच्छी प्रकार से अवगत हूं कि इस पद पर चयन के समय पर मेरे द्वारा प्रस्तुत अनिवार्य अर्हता/कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेजों से समर्थित जीवनवृत्त में प्रस्तुत सूचना चयन समिति द्वारा आकलित किया जाएगा। मेरे द्वारा दी गई सूचना/ब्यौरा सत्य है और मेरी जानकारी में सत्य है मेरे चयन पर कोई भी सत्य न ही छुपाया गया है और न ही रोका गया है।

(	(आवेदक के हस्ताक्षर)
पता	

## नियोक्ता/कैडर नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणन

आवेदकों द्वारा प्रदत्त सूचना विवरण सही है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्य सही हैं। वह रिक्ति परिपत्र में उल्लेख किए गए शैक्षिक अर्हता और अनुभव रखते है यदि चयन होता है तो उन्हें तत्काल छोड़ा जाएगा।

2. यह	भा प्रमाणित किया जाता है।क:,
(i)	श्री/श्रीमती के विरूद्ध कोई सतर्कता अथवा अनुशासनिक मामला
	लम्बित/विचारधीन नहीं है।
(ii)	उनका/उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है।
(iii)	उनका/उनकी सीआर डोजियर मूल में संलग्न है/भारत सरकार के अवर सचिव अथवा उपर रैंक के
	किसी अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित पिछले 5 वर्ष के एसीआर की छाया प्रति संलग्न है।
(iv)	पिछले 10 वर्षों के दौरान उन पर कोई बड़ी/छोटी शस्ति नहीं लगाई गई है अथवा पिछले 10 वर्षों के
	दौरान उनपर लगाई गई छोटी/बड़ी शास्ति की सूची संलग्न है। (जैसा भी मामला हो)
	प्रतिहस्ताक्षर

(नियोक्ता /कैडर नियंत्रण प्राधिकारी, मोहर सहित)